संख्या-15/2016/641/94-स्टा0नि0-2/2016-312(98)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2016

विषय: **अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अंतर्गत स्टाम्प-शुल्क छूट के संबंध में।**

महोदय,

वर्तमान में प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अंतर्गत उद्योगों को स्टाम्प शुल्क से कतिपय शर्तों के अधीन विभिन्न छूट प्राप्त है, जिसके संबंध में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या- क0नि0-7-79/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 निर्गत की गयी है। तत्क्रम में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस छूट को प्राप्त करने के लिए शासनादेश संख्या: 141/77-6-13-15(एम)/05, दिनांक 04 जून, 2013 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

2- किन्तु इसके उपरान्त भी शासन में उद्योग बन्धु के माध्यम से अथवा अन्य स्रोतों से कतिपय इकाइयों पर स्टाम्प शुल्क से छूट संबधी प्रत्यावेदन एवं उप निबन्धक तथा सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन के निर्णय के विरूद्ध आपत्तियां प्राप्त होती रहती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि कदाचित् इस विषय में अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है।

3- उपरोक्त के क्रम में उद्योगों के प्रकरण में स्टाम्प-शुल्क से छूट संबंधी प्राविधान निम्नवत् पुन: स्पष्ट किये जा रहे हैं:-

(i) प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक एवं निवेश नीति, 2012 के अनुक्रम में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के अनुरूप स्टाम्प शुल्क से छूट अनुमन्य है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) सरकारी विभागों एवं उनके नियंत्रणाधीन सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संगठनों द्वारा सम्पत्ति अंतरण किये जाने की दशा में स्टाम्प शुल्क की देयता के संबंध में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-7-440/11-2015-700(111)/13, दिनांक 30 मार्च, 2015 दृष्टव्य है। उक्त अधिसूचना में दी गयी अवधि के उपरान्त स्टाम्प शुल्क उस क्षेत्र में कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दरों के आधार पर आगणित किये जाने की व्यवस्था है।

(iii) अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2015 के अनुरूप स्टाम्प-शुल्क पर छूट स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप मात्र प्रथम आवंटी को ही उपलब्ध होगी। यहॉ प्रथम आवंटी का तात्पर्य उस आवंटी से है, जिसको संबंधित विभाग/प्राधिकरण अथवा संगठन द्वारा मूल रूप से संपत्ति आवंटित की गयी है और संपत्ति विक्रय/ लीज के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का अंतरण प्राधिकरण एवं आवंटी के मध्य हुआ है।

(iv) बहुधा उक्त संगठनों के मूल आवंटी द्वारा इकाई की स्थापना करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को मूल आवंटी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर मूल आवंटी से भूखण्ड तथा यदि उस पर कोई निर्माण हुआ है, तो उसे सरेण्डर कराते हुए नये आवंटी को मूल्य का कुछ प्रतिशत एवं अवशेष मूल्य आदि को लेते हुए नये आवंटी के पक्ष में आवंटन कर दिया जाता है। यह नया आवंटी प्रथम आवंटी/ मूल आवंटी से भिन्न द्वितीय आवंटी है। उस भूखण्ड/सम्पत्ति के मूल्य के संबंध में मूल्य का अधिकांश भाग प्राधिकरण और इस द्वितीय आवंटी के बीच में अंतरित न होकर द्वितीय आवंटी द्वारा मूल आवंटी को दिया जाता है, इस कारण द्वितीय आंवटी पर अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2015 के अनुक्रम में प्राधिकरण की दरों पर स्टाम्प शुल्क निर्धारित न करते हुए कलेक्टर के सर्किल रेट पर निर्धारित किया जाता है।

(v) अधिसूचना दिनांक 05.12.12 में उद्यमी को चाहे वह मूल आवंटी हो अथवा द्वितीय आवंटी हो, उद्यम की स्थापना करने पर स्टाम्प शुल्क से छूट उपलब्ध होगी। स्पष्टत: यदि मूल आवंटी के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले विलेख पर स्टाम्प-शुल्क की देयता विभागों/प्राधिकरणों अथवा संगठनों की दरों पर अधिसूचना संख्या- क0नि0-7-440/11-2015-700(111)/13, दिनांक 30 मार्च,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2015 के अनुरूप है, तो इस छूट की धनराशि के समतुल्य ही बैंक गारण्टी जमा की जाती है।

(vi) द्वितीय आवंटी के पक्ष में उपरोक्त विवेचना के अनुसार कलेक्टर द्वारा क्षेत्र की निर्धारित सर्किल दरों के आधार पर आगणित स्टाम्प-शुल्क की देयता होगी, किन्तु अधिसूचना संख्या- क0नि0-7-79/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के अनुरूप उस स्टाम्प-शुल्क में पूर्ण या आंशिक छूट उपलब्ध होगी तथा छूट की धनराशि के समतुल्य ही बैंक गारण्टी जमा करायी जानी होगी। यहॉ यह भी स्पष्ट करना समीचीन है कि यद्यपि यह द्वितीय आवंटी है, जो मूल आवंटी नहीं है, किन्तु यह सम्पत्ति विभाग/प्राधिकरण/संगठन की होने के कारण इस पर स्टाम्प शुल्क से छूट अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के प्रस्तर- 5.1.1 के अनुरूप होगी, न कि प्रस्तर- 5.1.2 के अनुरूप। किन्तु इस प्रकरण में यह भी आवश्यक है कि यदि मूल आवंटी को स्टाम्प-शुल्क से छूट प्रदान की गयी थी और मूल आवंटी द्वारा स्टाम्प-शुल्क से छूट से संबंधित शर्तें पूरी नहीं की गयी है तो मूल आवंटी से उसे प्रदान की गयी स्टाम्प-शुल्क से छूट की प्रतिपूर्ति करायी जानी होगी, उसके उपरांत ही द्वितीय आवंटी के पक्ष में स्टाम्प-शुल्क से छूट दी जाएगी।

भवदीय,

(**अनिल कुमार**)
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या: 15/2016/641(1)/94-स्टा0नि0-2/2016-312(98)/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त उप महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
(5) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

(सुधीन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in